

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(379)/2023 दिनांक 20.06.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी ना०पु०/052461994 अंकेश कुमार सिंह का यूपी 112 कमिश्नरेट कानपुर नगर से यूपी 112 कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्या: त-377/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को यूपी 112 कमिश्नरेट कानपुर नगर से यूपी 112 कमिश्नरेट लखनऊ हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या: 3662/2024 मुख्य आरक्षी ना०पु०/052461994 अंकेश कुमार सिंह व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.03.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.06.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या: 5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी ना०पु०/052461994 अंकेश कुमार सिंह का कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.03.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में मुख्य आरक्षी ना०पु०/052461994 अंकेश कुमार सिंह का यूपी 112 कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एएसपी(ई-1)(जनहित समायोजन/मा० उच्च न्यायालय) 4722/2024 दिनांक: 12-07-2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मी का गृह जनपद फतेहगढ़ है।

DGP HQRS UP LKW



DC-IV-STHA-4722/2024/1300 DT 12-07-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या-डीजी-चार-स्था०-(4722)/2024/1300

दिनांक: जुलाई 12, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(379)/2023 दिनांक 20.06.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी ना०पु०/1124180030 मनोज कुमार का यूपी 112 कमिश्नरेट कानपुर नगर से यूपी 112 कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्या: त-377/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को यूपी 112 कमिश्नरेट कानपुर नगर से यूपी 112 कमिश्नरेट लखनऊ हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या: 3662/2024 मुख्य आरक्षी ना०पु०/052461994 अंकेश कुमार सिंह व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.03.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.06.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या: 5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी ना०पु०/1124180030 मनोज कुमार का कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.03.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में मुख्य आरक्षी ना०पु०/1124180030 मनोज कुमार का यूपी 112 कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एएसपी(ई-1)(जनहित समायोजन/मा० उच्च न्यायालय) 432/2024 दिनांक: 12-07-2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मी का गृह जनपद मैनपुरी है।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-472/2024/1301 DT 12-07-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था०-(432)/2024/1301 दिनांक: जुलाई 12, 2024

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(291)/2023 दिनांक 27.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप मुख्य आरक्षी ना०पु०/972411590 अवनीश कुमार का कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में प्रतिसार निरीक्षक कानपुर नगर के आर०टी० संदेश संख्या: आर०आई०-स्था०-कार्यमुक्त/2024 दिनांक: 18.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या: 3662/2024 मुख्य आरक्षी ना०पु०/052461994 अंकेश कुमार सिंह व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.03.2024 को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.05.2023 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 18.01.2024 को पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या: 5001/आठ-1-86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार मुख्य आरक्षी ना०पु०/972411590 अवनीश कुमार का कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 07.03.2024 को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में मुख्य आरक्षी ना०पु०/972411590 अवनीश कुमार का कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एएसपी(ई-1)(जनहित समायोजन/मा० उच्च न्यायालय)472/2024 दिनांक: 12-07-2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मी का गृह जनपद औरैया है।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-472/2024/1302 DT 12-07-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या: डीजी-चार-स्था०-(472)/2024/1302

दिनांक: जुलाई 12, 2024

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।